भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 689

बुधवार, 16 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया

689. श्री जगदम्बिका पालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सरकार की ओर से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कोई संकल्प लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उत्पादन किन-किन क्षेत्रों में किए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी नीति का निर्धारण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): हाल ही में, सरकार ने भारत में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं के अलावा कई सारे कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय विनिर्माण पाइपलाइन, कॉर्पोरट कर में कटौती, एनबीएफसी और बैंकों की तरलता संबंधी समस्याओं को कम करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय शामिल हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी), विभिन्न मंत्रालयों की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना के जरिए वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया है।

इसके अलावा, भारत में निवेश करने वाले निवेशकों को सहयोग, सहायता और निवेशक अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून, 2020 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में निवेश के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के गठन को अनुमोदित किया जिसमें सीईओ, नीति आयोग, सचिव, वाणिज्य विभाग,

सचिव, राजस्व, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, डीपीआईआईटी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य है:-

i. तालमेल स्थापित करना तथा विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से समय पर मंजूरी सुनिश्चित करना।

ii. भारत में अधिक निवेश आकर्षित करना तथा वैश्विक निवेशकों को निवेश सहयोग व सहायता प्रदान करना।

iii. शीर्ष निवेशकों के निवेश में लक्षित तरीके से सहायता करना तथा समग्र निवेश परिवेश में नीतिगत स्थायित्व और निरंतरता लाना।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय से निवेश में तेजी लाने तथा इसके जरिए भारत में प्रक्रियाधीन निवेश योग्य परियोजनाओं में बढ़ोतरी करने और परिणामस्वरूप घरेलू निवेश व एफडीआई में वृद्धि करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के गठन को भी अनुमोदित किया है। पीडीसी के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:

i. सभी अनुमोदनों, आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि और अपनाने/ निवेशकों द्वारा निवेश के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वाली परियोजनाओं का निर्माण।

ii. उन मुद्दों की पहचान करना व उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखना जिन्हें निवेश आकर्षित करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए पहचानना आवश्यक है।

*****